

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/युगलपीठ/ /2026 दि0 लखनऊ: जनवरी 01, 2026

:- संशोधित आदेश :-

मुख्यालय के आदेशांक 1552/2025 दिनांक 16-12-2025 के द्वारा माह जनवरी, 2026 में जनपद मेरठ में युगलपीठ का गठन दिनांक 01-01-2026 से 02-01-2026 एवं जनपद मुजफ्फरनगर में दिनांक 15-01-2026 से 17-01-2026 तक किया गया था। उपरोक्त युगलपीठों में न्यायिक सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 प्रयागराज को नामित किया गया था।

न्यायिक सदस्य, पीठ-1, प्रयागराज के द्वारा पत्र संख्या 579 दिनांक 29-12-2025 से सूचित किया गया है कि वह अपनी पत्नी की अस्वस्थता के कारण उपरोक्त गठित युगल पीठों में सम्मिलित होने में असमर्थ हैं।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश सं0 1552/2025 दिनांक 16-12-2025 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, जनपद मेरठ में गठित युगल पीठ दिनांक 01-01-2026 से 02-01-2026 एवं जनपद मुजफ्फरनगर में गठित युगल पीठ दिनांक 15-01-2026 से 17-01-2026 तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। उपरोक्त गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

Sd/-01.01.2026

(रमेश चन्द-1)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/ 01 /2025 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ मुजफ्फरनगर।
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम, प्रयागराज।
- 3- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 व 2 मेरठ।
- 4- वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/वेब अधिकारी/नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।